14/3/18	पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उप०। पत्रावली में वादी नागजी s/o जालमा द्वारा यह वाद पेश किया गया की ग्राम नाथन, पिपनखूट में खसरा नं. 83, रकबा 0.09 ha

जमीन पर वादी काशत करता था एवं रिकार्ड जमाबंदी में भी वह भूमि वादी के नाम दर्ज है।

परन्तु 12/10/2017 को प्रतिवादी द्वारा जो की धीरजमल पिता मगांला एवं कनिया पिता अगरिया द्वारा जबरदस्ती इस जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया जिसकी वजह से वाद उत्पन्न हुआ।

आज दिनांक 14/3/18 को प्रतिवादी धीरजमल, एवं कनिया द्वारा बताया गया की उन्होंने कब्जा नहीं किया है। इससे पूर्व पत्रावली में न तो जवाब पेश किया गया। और न ही साक्ष्य पेश किया गये। वादी एवं वादी अधि. द्वारा यह बात बताई गई की कब्जा प्रतिवादी द्वारा ही किया गया है।

अतः यह न्यायालय आदेश देती है की धारा 183, 209 RTA के तहत प्रतिवादी धीरजमल एवं कनिया का उक्त

Scanned by CamScanner

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... अहक... की त...
	भूमि पर से अतिक्रमण हटा कर, कब्जा वापिस वादी नागजी पिता आलमा को दिलाया जावे। इसके लिए वादी चाहे, तो तहसीलदार के यहां सीमाज्ञान कराकर अपना हिस्सा अंकित कराकर कब्जा वापिस ले सकता है। पत्रावली फैसल हो, एक नं. कम हो।	

Scanned by CamScanner